COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये
TEN RUPEES

93

Rs 15/-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /07 अपील

अपील 235-II/07

1- बलवान		सभी वल्द
2- हरीसिंग		कन्छेदी चढ़ार
3- रामेश्वर		सा.-ग्राम लिधोरा
4- नन्दराम		खुर्द तहसील व
5- नन्हे भाई		जिला-सागर
6- सुरतसिंग		॥ म0प्र0॥
7- ममबाई		
8- गीताबाई		

---- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन -- प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि० 6.2.07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मुकेश भार्गव
6-2-07 एडवोकेट
ग्वालियर

शासकीय अधिवक्ता
6-2-07

न्यायालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्र0क्र0 118-अ/19 ॥4॥ वर्ष 05-06 में पारित आदेश दिनांक 7-8-06 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44॥2॥ के अन्तर्गत द्वितीय अपील ।

-------0-------

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

// प्रकरण के तथ्य //

1- यह कि, मौजा लिधोरा खुर्द 6 बं.नं. 438 राजस्व निरीक्षण मण्डल परसोरिया तहसील व जिला सागर के ख.नं. 33, रकबा 0.18, ख.नं. 268 रकबा 0.04 हे0 में अपीलार्थीगण शामिल शरीक मालिक काबिज कब्जेदार स्वत्वाधिकारी चले आ रहे हैं ।

---- 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 235–दो / 2007 जिला -- सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक अभ्यावेदन 118 / अ–19 / (4) / 05–06 में पारित आदेश दिनांक 07–8–04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2 / आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आयुक्त के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकनसे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की निजी भूमि का तबादला शासकीय भूमि से किए जाने हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया गया जो अपर कलेक्टर, सागर ने निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार–1 की कंडिका 18 के तहत अभ्यावेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो आयुक्त ने अवधि बाह्य होने एवं आवेदित भूमि आबादी दर्ज होने से अदला–बदली में देने योग्य न होने से निरस्त की गई है । म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार–1 की कंडिका 18 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	